| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>प्यारेलाल बनाम लो.सू.अ. ( उपखण्ड अधिकारी पीपाड़सीटी )<br>सू.अ.अ. अपील संख्या 110 / 2019 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.08.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्यारेलाल सोनी, पता अजमेर रोड, बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.05.19 में उसके द्वारा (1) दिनांक 25.02.19 को श्रीमान् के कार्यालय में प्रस्तुत अवैध निर्माण के कम में शिकायत प्रार्थना पत्र पर पर की गई कार्यवाही की सूचना, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी पीपाड़सीटी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी पीपाड़सीटी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( उपखण्ड अधिकारी पीपाड़सीटी ) से जरिये पत्रांक 843 दिनांक 08.07.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत करवाया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.19 कार्यालय की जावक पंजिका में दर्ज कमांक 606 दिनांक 25.02.19 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पीपाड़शहर को मूल प्रार्थना पत्र मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नियमानुसार जॉच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये तथा प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.19 में चाही गई सूचना नगर पालिका पीपाड़सीटी से संबधित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पीपाड़सीटी) को अन्तरण कर दिया गया तथा इस संबंध में प्रार्थी को भी सूचित किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़सीटी) द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना नगर पालिका पीपाड़सीटी से संबधित होने के कारण उनके लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा उसकी सूचना प्रार्थी को भी जरिये पत्रांक 1140 दिनांक 22.05.19 दी जा चुकी है अतः लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़सीटी) कार्यालय स्तर पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |